नियमावली

1. **संस्था का नाम** – **छत्तीसगढ़ प्रदेश शौण्डिक समाज**

2. **संस्था का कार्यालय** – **द्वारा– श्री शिवरतन प्रसाद गुप्ता,**
शिव सदन, अवधपुरी कॉलोनी, भाठागॉव, रायपुर,
तहसील– रायपुर, जिला– रायपुर (छ.ग.)

3. **संस्था के संस्थापक सदस्य** – **1. श्याम किशोर गुप्ता, 2. ओमप्रकाश गुप्ता,**
3. शिवरतन प्रसाद गुप्ता, 4. सुरेश गुप्ता,

4. **संस्था का उद्देश्य** –

1. छत्तीसगढ़ प्रदेश में शौण्डिक समाज की संगठन को मजबूत करना, समाज के सदस्यों में एकता की भावना जागृत कर समाज के परम्पराओं एवं रीति रिवाजो का प्रचार–प्रसार करना तथा समाज के नवयुवकों को संगठित कर उनकी भागीदारिता सुनिश्चित करना।
2. प्रदेश मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय में समाज के उत्थान एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु सामाजिक भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन हेतु शासन–प्रशासन स्तर पर प्रयास किया जाना।
3. समाज में समय–समय पर धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
4. राजधानी एवं जिला मुख्यालय में समाज के लोगों को शिक्षित करना तथा उच्च शिक्षा हेतु उचित प्रयास करना, समाज के प्रतिभावान एवं होनहार छात्र–छात्राओं के साथ–साथ समाज के गणमान्य नागरिकों को सम्मानित करना तथा समय–समय पर व्याख्यान, कार्यशाला का आयोजन कर समाज के उन्नति हेतु उचित प्रयास करना।
5. समाज में विवाह योग्य युवक–युवतियों के परिचय सम्मलेन व सामूहिक विवाह का आयोजन करना।
6. समाज के कमजोर, विकलांग, अंध, मूक, बधिर लोगों की सहायता करना, प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना।
7. समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों जैसे अंध–विश्वास, दहेज, नशा, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर कर लोगों में समन्वयता की भावना जागृत करना।
8. समाज के उत्थान व कल्याण हेतु सामाजिक भवन, सांस्कृतिक भवन के विकास हेतु विशेष सहयोग एवं प्रयास करना।
9. समाज के समस्याओं को शासन एवं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर उसके उचित निराकरण हेतु प्रयास करना।
10. छत्तीसगढ़ प्रदेश शौण्डिक समाज को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना। सम्पूर्ण मानव समाज में स्वावलंबन की भावना जागृत करना। उन्हे आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना। समाज के कमजोर, विकलांग, पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।

5. **सदस्यताः–** सभी सम्मानीय कार्यकारिणी सदस्यों को संस्था की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है।

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः–

(अ) **संरक्षण सदस्यः–** संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 1,00,000/– या अधिक एकमुश्त देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्यः–** जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 50,000/–रुपये या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा।

(स) **साधारण सदस्य**:– जो व्यक्ति रुपये 100/– माह या रूपये 1200/– प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सदस्यता की प्राप्तिः– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो ऑनलाईन छत्तीसगढ़ प्रदेश शौण्डिक समाज की वेबसाईट में जाकर/लिखित रूप में आवेदन करना होगा, जो ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।